रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 1972/पौष 15, 1893
S. No. 11] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 1972/PAUSA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 5th January, 1972

'**G.S.R. 15(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 131/70-Central Excises, dated the 2nd June, 1970, namely:—

In the first proviso to the said notification, the following shall be inserted at the end, namely:—

"and that in the case of such factory the average price of less than five rupees per kilogram shall be calculated on the basis of the total sales of loose tea whether in public auction or by private transction or both".

[No. 7/72-CE. F. No. 65/3/71-CX.2.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 5 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 15(अ)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तारीख 2 जून, 1970 की अधिसूचना सं० 131/70–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक में, अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और ऐसे कारखाने की दशा में पांच रुपये प्रति किलोग्राम से कम की किसी औसत कीमत की संगणना चाहे लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संव्यवहार द्वारा या दोनों द्वारा की गई खुली चाय की कुल बिक्री के आधार पर की जाएगी।"

(7/72)

[सं० 7/72(फा०सं० 65/3/71–सी०एक्स० 2]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972